



विज्ञापित

उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गाँधी मार्ग मुख्यालय में **विधि परामर्शदाता** के रूप में उ०प्र० न्यायिक सेवा के सुयोग्य अपर जिला जज या उच्च स्तर के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जिनकी आयु 01.01 2018 को 63 वर्ष से अधिक न हो तथा आवेदनकर्ता को किसी सरकारी एवं संस्थागत संस्थान में कम से कम 02 वर्ष से अधिक कार्य का अनुभव (जो सेवाकाल के दौरान अनुभव को शामिल करते हुए) हो की आवश्यकता है। **विधि परामर्शदाता** की नियुक्ति गठित समिति द्वारा उनके सेवा विवरण के आधार पर प्रदान किये गये अंकों एवं साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी तथा नियुक्त के समय वेतन के रूप में अन्तिम वेतन प्राप्त धनराशि में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि का भुगतान वेतन के रूप में किया जायेगा। नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, जिसे कार्य एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत आगे बढ़ाया जा सकता है।

आवेदन का प्रारूप

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. सेवानिवृत्त के समय धारित पद (पी.पी.ओ. की स्व प्रमाणित प्रति) :
4. अनुभव (सरकारी/संस्थागत संस्थान में कम से कम 02 वर्ष का) :
5. जन्म तिथि : शब्दों में :
6. स्थाई पता :
7. पत्राचार का पता :

पासपोर्ट
साईज का
स्वप्रमाणित
फोटो
चिपकार्यें

घोषणा पत्र

1. आवेदन प्रारूप पर दी गयी सूचना/तथ्य/आख्या असत्य पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाये, जो मान्य होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

2. इच्छुक माननीय सेवा निवृत्त अपर जिला जज दिनांक 13.06.2018 तक अपना सेवा विवरण एवं क्रमांक-3, 4, 5, 6 एवं 7 से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर, आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को डाक/व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।